न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12 / 07 / 2026 रजि0 न0 2026 / 16

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री वेद राठोड़, निवासी–32, एन.डी.सदन देहली रोड, मुंगस्का अलवर (राज.)	लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 10.02.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 18.12.2025 के परिपेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः सूचना दिलवायी जावे।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नही दिये जाने के संबंध मे प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 03.02.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के जवाब पत्र संख्या नविवि / आर0टी0आई0 / 2026 / 12615 दिनांक 02.02.2026 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 18.12.2025 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना से अपीलार्थी को न्यास पत्र क्रमांक 11516–17 दिनांक 01.01.2026 के द्वारा प्रार्थना–पत्र में चाही गई सूचना / प्रतिलिपी प्रश्नात्मक एवं सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत नये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराना एवं नयी सूचना का सृजन करना संभव नही होने के कारण अपीलार्थी को सूचना का विनिश्चय किया जा कर संसूचित किया गया है । अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है ।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया ऑफलाइन पत्र स. 11516–17 दिनांक 01.01.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को चाही गई सूचना का विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
7. आज दिनांक 10.02.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर